



**हिन्दुस्तान काँपर लिमिटेड**

**एवं**

**खान मंत्रालय**

**के बीच**

**वर्ष 2024-25**

**हेतु**

**समझौता ज्ञापन**

# हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड (समेकित)

## समझौता ज्ञापन 2024-25

| क्र सं. | पैरामीटर का नाम  | इकाई      | वेटेज | लक्ष्य 2024-25 |
|---------|--|-----------|-------|----------------|
| 1       | संचालन से राजस्व   | रु. करोड़ | 13    | 2541           |
| 2       | मेटल इन कंसंट्रेट का उत्पादन   | MT        | 20    | 34500          |
| 3       | पूँजीगत व्यय (CAPEX)   | रु. करोड़ | 10    | 350            |
| 4       | EBITDA राजस्व के प्रतिशत के रूप में  | %         | 10    | 33.96          |
| 5       | निबल मूल्य पर रिटर्न   | %         | 15    | 17.47          |
| 6       | परिसंपत्ति टर्नओवर अनुपात  | %         | 5     | 56.74          |
| 7       | निर्दिष्ट अवधि के अंदर TReDS पोर्टल के माध्यम से सामान एवं सेवाओं के चालानों की स्वीकृति/अस्वीकृति | %         | 5     | 100            |
| 8       | स्वीकृत खरीद योजना के अनुसार GeM से खरीद   | %         | 2     | 100            |
| 9       | PBT के % के रूप में अनुसंधान एवं विकास/नवोन्मेष पहल पर व्यय  | %         | 5     | 2              |
| 10      | शेयरधारकों को कुल रिटर्न   | %         | 15    | 100            |
|         |  | कुल       | 100   |                |

### टिप्पणियाँ

- प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए विजन को भी बेंचमार्किंग के लिए ध्यान में रखा जाता है।
- CAPEX लक्ष्य - प्रशासनिक मंत्रालय/ CPSE द्वारा उपलब्ध कराये गये विजन पर आधारित एवं बजट आंकड़े
- अनुसंधान एवं विकास/नवोन्मेष पहल पर व्यय का लक्ष्य वित्त वर्ष 2024-25 के PBT पर आधारित है और उपलब्धि की पुष्टि CPSE की वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी।
- TRS पैरामीटर को बीएसई 500 सूचकांक के अनुरूप निर्धारित किया जाएगा तथा निर्धारित सीमा के अनुसार उपलब्धि के लिए आनुपातिक अंकन किया जाएगा।
- TRS पैरामीटर को छोड़कर 50% से 100% लक्ष्य प्राप्ति के लिए आनुपातिक अंक।
- लक्ष्य के 50.00% से कम उपलब्धि के लिए कोई अंक नहीं।

2024-25 के लिए अनुपालन पैरामीटर

| क्र सं. | पैरामीटर   | अंक | श्रोत/सत्यापन   |
|---------|--|-----|---|
| 1       | CPSEs द्वारा CSR व्यय पर समय-समय पर जारी DPE का दिशानिर्देश  | -1  | प्रशासनिक मंत्रालय  |
| 2       | कॉर्पोरेट प्रशासन पर कंपनी अधिनियम, 2013 (या सूचीबद्ध संस्थाओं के मामले में सेबी (LODR) विनियम) के प्रावधानों का अनुपालन, यथा :<br>(i) निदेशक मंडल संरचना<br>(ii) बोर्ड की समितियाँ (ऑडिट समिति इत्यादि)<br>(iii) बोर्ड की बैठकें आयोजित करना<br>(iv) संबंधित पार्टी लेनदेन<br>(v) प्रकटीकरण और पारदर्शिता | -3  | CAG/सांविधिक/सचिवीय रिपोर्ट(टै) के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय |
| 3       | सामानों और सेवाओं की कुल खरीद के % के रूप में MSEs के माध्यम से सामानों अथवा सेवाओं की खरीद - 25 %   | -1  | संबंधित पार्टल के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय                  |
| 4       | वस्तुओं और सेवाओं की कुल खरीद के % के रूप में SC/ST MSEs के माध्यम से सामानों एवं सेवाओं की खरीद - 4%  | -1  | संबंधित पार्टल के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय                  |
| 5       | सामानों और सेवाओं की कुल खरीद के % के रूप में महिला MSEs के माध्यम से सामानों एवं सेवाओं की खरीद - 3%  | -1  | संबंधित पार्टल के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय                  |
| 6       | CPSEs में मानव संसाधनों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सुधार के लिए उठाए गए कदम और पहल (प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा)   | -1  | प्रशासनिक मंत्रालय  |

अ. प्र. नि./ प्र.नि., हिन्दुस्तान कॉपर लि.

दिनांक :

सचिव, खान मंत्रालय

दिनांक :